भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2348
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

महिलाओं के लिए आरक्षण

2348. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद**:**
श्री के. गोपीनाथ:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के लिए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण वाले राज्यों में रिक्त पड़ी पंचायती राज सीटों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से 2024 तक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कोविड के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करने और इनके सांकेतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समाधान करने के लिए सीटों के 1/3 आरक्षण के अलावा कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, 21 राज्य और 2 संघ राज्य-क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से प्रदान किया जाना है। चूँकि यह विषय राज्य के दायरे में है, पंचायती राज संस्थाओं के ब्यौरे जैसे कि रिक्त सीटों का प्रतिशत या निर्वाचित

प्रतिनिधियों के जाति-आधारित आंकड़े या कोविड के पश्चात निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में गिरावट का कोई विश्लेषण, का रख-रखाव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, क्योंकि पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत संवैधानिक और वैधानिक रूप से निर्धारित है, इसलिए कोविड के बाद पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की गिरावट का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(ङ) सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। इस मंत्रालय ने ग्राम सभा बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा देनेके लिए राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गईं है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन करने, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराईयों को दूर करने के लिए भी राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गईं है।

***